



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-05102026-276782
CG-RJ-E-05102026-276782

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5083]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5083]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे [(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

जयपुर, 24 सितंबर, 2026

का.आ. 5290(अ).— केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 2008 (2008 का 11वा) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले की अजमेर तहसील में विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना के सन्दर्भ में एतद द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग संबंध में आपत्ति कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा को लिखित रूप से किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

भारतीय रेलवे विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना के लिए अवासाधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण:-

जिला अजमेर :

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवास रकबा (हेक्टेयर में)	कुल रकबा (हेक्टेयर में)
1	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	8266	सरकारी	बारानी 1	0.0158	0.0364
2	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	8208	सरकारी	बारानी 3	0.046	0.1618
3	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	8209	निजी	चाही 1	0.0753	0.3318
4	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	8180	सरकारी	नाला	0.0485	0.0566
5	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	8180	निजी	नाला		0.2509
6	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9270	निजी	चाही 2	0.0343	0.0485
7	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9270	निजी	चाही 2		0.0526
8	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9301	निजी	आबादी	0.0122	0.1052
9	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9302	निजी	आबादी	0.0340	0.1982
10	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9303 मीन	निजी	बारानी 2	0.0607	0.0323
11	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9303 मीन	सरकारी	बारानी 2		0.4045
12	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9304 मीन	सरकारी	बारानी 2	0.0400	0.0161
13	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9304 मीन	सरकारी	बारानी 2		0.1456
14	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9304 मीन	सरकारी	बारानी 2		0.1456
15	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9305	सरकारी	चाही 3	0.0249	0.1618
16	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9306	सरकारी	चाही 3	0.0063	0.0404
17	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	9307	सरकारी	चाही 3	0.0249	0.1456
18	अजमेर	अजमेर	थोक मालियान 3	8213	निजी	बारानी 3	0.0713	0.1133
कुल योग							0.4189	

[फा.सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग- 26]

विवेक सक्सेना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 24th September, 2026

S.O. 5290(E).— In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act 1989, (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project of “Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)” of Ajmer Division of North Western Railway” in the state of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of 30 (Thirty) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to competent authority, namely, the Sub divisional officer Masuda in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely “Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)” of Ajmer Division of North Western Railway”

“Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)”

Dist.: Ajmer

Sl. No.	Name of District	Name of Tehsil	Village Name	Survey No./ Khasra No.	Type of Land	Nature Of Land	Acquired Area (in Hact.)	Total Land (In Hact.)
1	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	8266	Govt.	Barani 1	0.0158	0.0364
2	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	8208	Govt.	Barani 1	0.046	0.1618
3	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	8209	Pvt.	Chahi 1	0.0753	0.3318
4	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	8180	Govt.	Nala	0.0485	0.0566
5	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	8180	Pvt.	Nala		0.2509
6	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	9270	Pvt.	Chahi 2	0.0343	0.0485
7	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	9270	Pvt.	Chahi 2		0.0526
8	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	9301	Pvt.	Abadi	0.0122	0.1052
9	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	9302	Pvt.	Abadi	0.0340	0.1982
10	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	9303 मीन	Pvt.	Barani 2	0.0607	0.0323

11	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	9303 मीन	Govt.	Barani 2		0.4045
12	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 3	9304 मीन	Govt.	Barani 2		0.0161
13	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 4	9304 मीन	Govt.	Barani 2	0.0400	0.1456
14	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 5	9304 मीन	Govt.	Barani 2		0.1456
15	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 6	9305	Govt.	Chahi 3	0.0249	0.1618
16	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 7	9306	Govt.	Chahi 3	0.0063	0.0404
17	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 8	9307	Govt.	Chahi 3	0.0249	0.1456
18	Ajmer	Ajmer	Thok Maliyan 8	8213	Pvt.	Barani 3	0.0713	0.1133
Total							0.4189	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol XXVI]

VIVEK SAXENA, Chief Administrative Officer